डॉ0 ब्रह्म देव राम तिवारी
आई0ए0एस0
जिलाधिकारी

अ0शा0पत्रांक 5515/
कार्यालय जिलाधिकारी
कानपुर नगर।
फैक्स/फोन– 0512–2306577
दिनांक :–01/04/2020.

प्रदेश के जनपदों में कोरोना (कोविड–19) व्यापक महामारी का रूप ले चुका है। भुखमरी, गरीबी एवं बेरोजगारी की घटनाओं के थोकथाम के सम्बन्ध में त्वरित कार्यवाही किये जाने विषयक जो कि भूख मुक्ति एवं जीवन रक्षा गारण्टी सरकार की प्राथमिकताओं में है। अतः अपर मुख्य सचिव पंचायती राज अनुभाग–1 द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या 01/2018/3003/33–1–2017–3003/17 दिनांक 02 जनवरी 2018 के कम में निम्न विन्दुओं पर आपका ध्यान अपेक्षित है–

1. यह सुनिश्चित किया जाये कि ग्राम में भुखमरी, कुपोषण एवं अन्य कारणों से आत्महत्या अथवा आत्महत्या के प्रयासों से सम्बन्धित घटनायें कदापि न हों। गांव में सतर्कता से ऐसे प्रकरणों पर नजर रखी जाए एवं सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर यह सुनिश्चित किया जाए कि भुखमरी या कुपोषण के कगार पर आने वाले व्यक्तियों को समुचित सहायता विधिवत ससमय उपलब्ध करायी जाए। गांव में अगर कही भूख से मृत्यु होती है या गरीबी, बेरोजगारी या कर्ज से तंग आकर कोई किसान आत्महत्या करता है तो सम्बन्धित ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव के साथ ही उस विकास खण्ड के सहायक विकास अधिकारी(पं0) एवं खण्ड विकास अधिकारी के विरूद्ध नियमानुसार कडी प्रशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
2. आप अगवत है कि 73वें संविधान संशोधन के उपरान्त ग्राम पंचायतों को सुदृढ किया गया है एवं उन्हें पर्याप्त अधिकार एवं शक्ति प्राप्त है। ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव के रूप में कार्य करने वाले कर्मी ग्राम सभा की बैठक कर ग्राम्य विकास, समाज कल्याण, खाद्य एवं रसद विभाग, महिला कल्याण एवं बाल विकास पृष्टाहार आदि विभागों द्वारा चलायी जा रही योजनाओं के लिए पात्र लाभार्थियों का चयन करते हैं। ग्राम में अत्यन्त निर्धन व्यक्तियों/ परिवारों की सूचना ग्राम पंचायत व सम्बन्धित ग्राम पंचायत सचिव के पास उपलब्ध होती है। उल्लेखनीय है कि पंचायती राज विभाग के शासनादेश संख्या 2393/33–1– 2001–350/ 2001, दिनांक 08.10.2001 द्वारा आकस्मिक कार्यो पर होने वाले व्यय के लिये ग्राम प्रधान के पास अग्रिम धनराशि रखने की सीमा रू0 5000 निर्धारित की गयी है।
3. वर्तमान में शासन द्वारा पी0डी0एस0 प्रणाली के अन्तर्गत 01 अप्रैल 2020 से खाद्यान्न वितरण हेतु आदेश निर्गत किये गये हैं, जिसके कम में आप द्वारा अपनी ग्राम पंचायत में निम्न लिखित निर्देशों के दृष्टिगत कार्यवाही अपेक्षित है–

(1). व्यक्तियों के बीच social distancing का ध्यान रखा जाये।
(2). राशन की दुकान पर एक समय में 05 व्यक्तियों से अधिक की संख्या न हो।
(3). राशन की दुकान पर व्यक्तियों के खडे होने के लिए 01 मीटर की दूरी पर घेरों का चिन्हांकन किया जाये।
(4). दुकान पर आने वाले कार्डधारक अपने मुंह को ढककर रखें एवं दुकानदार राशन देने से पहले और बाद में अपने हाथों को अवश्य धुलें।

उपरोक्त के अतिरिक्त निम्न व्यक्तियों को जिनके पास अन्त्योदय या पात्र गृहस्थी के कार्डधारक को निःशुल्क राशन/खाद्यान्न का वितरण किया जाना है–

क. मनरेगा के अन्तर्गत पंजीकृत जांव कार्ड धारक श्रमिक।
ख. श्रम विभाग के पंजीकृत श्रमिक।
ग. दिहाडी मजदूर जो नगर निकाय में पंजीकृत हो।
घ. समस्त अन्त्योदय कार्डधारक।

अतः उक्तानुसार ग्राम पंचायत स्तर पर राशन वितरण के समय ग्राम पंचायत सचिव, ग्राम रोजगार सेवक, सफाई कर्मी से समन्वय स्थापित कर उक्त निर्देशों का पालन किया जाना सुनिश्चित करें। ग्राम में अगर कहीं भी भुखमरी एवं कुपोषण से उत्पन्न होने वाली घटनाएं होती हैं तो इसके लिए सम्बन्धित ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव को उत्तरदायी मानते हुए उनके विरूद्ध सुसंगत नियमों के अन्तर्गत कठोर कार्यवाही की जायेगी।

आशा है कि आपके सहयोग से कोरोना वायरस (कोविड–19) के खिलाफ जंग और मजबूती से लडी जा सकेगी।

भवनिष्ठ

(डॉ0 ब्रह्म देव राम तिवारी)

सेवा में,

समस्त ग्राम प्रधान
जनपद–कानपुर नगर।

Scanned by CamScanner

प्रष्ठांकन संख्या 5515/2122/तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि–

01. प्रमुख सचिव, पंचायतीराज उ0प्र0 शासन को सादर सूचनार्थ।

02. आयुक्त खाद्य तथा रसद विभाग, उ0प्र0 जवाहर भवन लखनऊ को सादर सूचनार्थ।

03. निदेशक पंचायतीराज उ0प्र0 लखनऊ को सूचनार्थ।

04. मुख्य विकास अधिकारी, कानपुर नगर को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

05. समस्त उप जिलाधिकारी, कानपुर नगर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

06. समस्त खण्ड विकास अधिकारी, कानपुर नगर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

07. समस्त सहायक विकास अधिकारी (पं0), कानपुर नगरं को अनुपालनार्थ।

08. समस्त ग्राम पंचायत सचिव, जनपद कानपुर नगर को परिपालनार्थ।

(डा0 ब्रह्म देव राम तिवारी)

Scanned by CamScanner